न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– जीतेन्द्र सिंह नरुका

सिविल प्रकरण संख्याः– 94 / 2023 तारीख रजू :– 30.10.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. श्री महेश कुमार अदलक्खा पुत्र श्री राधेश्याम अदलक्खा (मौके पर विकेता एवं फर्म मालिक) निवासी– हम्माल मोहल्ला, शहर सवाई माधोपुर। मै० अदलक्खा ऐन्टरप्राईजेज, सिनेमा गली सिटी सवाई माधोपुर।
2. Shri Abhijeet Dashrath Sapar (Nomini) Add- Gut No- 461, Bhandgaon, Tal Daund, Dist- Pune, Maharashtra, Mob- No- 9011013620 M/s- Praveen Masalewale Add- Gut No- 461, Bhandgaon, Tal Daund, Dist- Pune, Maharashtra
3. M/s- Praveen Masalewale Add- Gut No- 461, Bhandgaon, Tal Daund, Dist- Pune, Maharashtra

.....अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) / 51,52

निर्णय दिनांक 13/02/2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया (आवेदक) ने अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध के लिये युद्ध के अन्तर्गत दिनांक 15.02.2023 को 3.00 पी.एम पर मैसर्सः– अदलक्खा ऐन्टरप्राईजेज, सिनेमा गली सिटी सवाई माधोपुर पर पहुंचा। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित विकेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होने फर्म का खाद्य अनुज्ञापत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की गई।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु Saffron (Suhana) के एक प्लास्टिक की डिब्बियों में रखी हुई थी। Saffron (Suhana) में मिलावट का अंदेशा होने पर Saffron (Suhana) 1 gram X 48 को

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

खरीदकर उसकी कीमत 7680/– रुपये विक्रेता महेश कुमार को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की गई जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाईमाधोपुर एवं पंकज गुप्ता के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मालिक से अग्रिम खरीद बिल चाहा गया जिस पर फर्म महेश कुमार द्वारा मैसर्स Praveen Masalewale Pune का खरीद बिल प्रस्तुत किया गया।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियाँ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री महेश कुमार ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता जिसे श्री महेश कुमार को देकर रसीद प्राप्त की गई।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Saffron (Suhana) को मूल ही लेकर 12–12 के 04 नमूना भाग तैयार कर तथा 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक एच 2615 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एच 2615 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना मागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छः की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर यह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की गई। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की गई।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/503–506 दिनांक 06-03-2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/415/एक्ट/2023/66 दिनांक 27-02-2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Saffron (Suhana) Substandard as it does not conform

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 and misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food safety and standard Act 2006 होना पाया गया है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/1081 दिनांक 27.10.2023 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

यह कि उक्त केस मे अभियुक्तगण द्वारा सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड Saffron (Suhana) का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की कमशः धारा 51 एवं 52 मे निर्धारित है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ताओं ने सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड प्रकृति की खाद्य वस्तु Saffron (Suhana) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि धारा 51 व 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अभियुक्त संख्या 1 द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि उनके द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ Saffron (Suhana) उनके द्वारा जरिये बिल निर्माता फर्म से क्रय किया गया है अतः प्रकरण के सबस्टैण्डर्ड व मिसब्राण्ड आने पर निर्माता फर्म ही जिम्मेदार है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत जबाव में तर्क दिया है कि उनके द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Saffron (Suhana) एग्रीकल्चर प्रॉडक्ट है जिसे किसानों द्वारा खेतों में निर्मित किया जाता है तथा उनके द्वारा किसानों से खरीदे गये उत्पाद Saffron की पैकिंग की जाकर विक्रय किया जाता है अतः उनके द्वारा कोई मिलावट नहीं की गई है। अतः उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही को निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज0, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/415/एक्ट/2023/66 दिनांक 27-02-2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Saffron (Suhana) सबस्टैण्डर्ड व मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) पाया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 की उपधारा 2(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध

न्याय निर्णयन अधिक
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रे
सवाई माधोपुर

अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 51 व 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः सबस्टैण्डर्ड व मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ Saffron (Suhana) का विक्रय/निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व मानक नियम 2011 के नियम 51 व 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 3 पर संयुक्त रूप से 21,000/–रू0 (अक्षरे इक्कीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे खाद्य पदार्थ विक्रय करने से पूर्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार गुणवत्ता को ध्यान मे रख कर ही विक्रय करें तथा वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.02.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जीतेन्द्र सिंह नरुका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर